382

SIL No- 07 /2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं. पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 09 . 05.2024

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची के नियमानुसार निर्धारण के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान समय–समय पर जारी की गई सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूचियों के जांचोपरान्त यह पाया गया है कि सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता को संभाग में अभी भी प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जा रहीं है न कि पदस्थापना तिथि से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम मे। यह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)आई–89/एमआर6/35 दिनांक 23.08.1991 के पैरा(ए) में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:

"जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्हें कामकाजी पद पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता में रैंक दिया जाएगा।"

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को रोकने हेतु रेलवे बोर्ड के उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9/5/24

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता / पूमरे / हाजीपुर

SIL No- 05/2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं: पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 18 . 01.2024

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–एनआईपी में उल्लेखित दंड का ससमय अनुपालन हेतु आवश्यक विभागीय प्रकिया में सुधार के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जॉच के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों के विरूद्ध जारी एनआईपी में उल्लेखित वार्षिक वेतन वृद्धि / वेतन / वेतनमान में अवनति आदि से संबंधित दंड का अनुपालन ससमय एवं समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को शून्य करने हेतु कर्मचारियों के विरूद्ध जारी एनआईपी में उल्लेखित वेतन से संबंधित दंड के विरूद्ध संबंधित कैडर लिपिक के द्वारा वेतन निर्धारण का ज्ञापन जारी कर बिल लिपिक को तत्काल उपलब्ध कराया जाये ताकि दंड का अनुपालन ससमय किया जा सके।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

18/1/24

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता / पूमरे / हाजीपुर

SIL No. 04 /2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर–844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50		दिनांकः– 11 .01.2024

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः विभागीय परीक्षाओं (अनुकम्पा, खेल–कुद कोटा इत्यादि) के संचालन में प्रणाली सुधार जारी करने के संबंध में।

सतर्कता विभाग के द्वारा जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा को विभिन्न अनियमितताओं के कारण निरस्त किया गया था। इस परीक्षा की विडियोग्राफी भी नहीं करायी गयी थी, जबकि इस संबंध में महाप्रबंधक/कार्मिक/पूमरे/हाजीपुर के परिपत्र संख्या - ECR-HQ0PERS(SEL)/05/2021, दिनांक–01.06.2021 के माध्यम से SIL No.- 01/2021 जारी किया गया है। परीक्षा की सूचना भी सतर्कता विभाग को नहीं दी गयी थी।

अतएव सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलो/ईकाइयों में नियुक्ति/विभागीय पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढाने हेतु विभागीय परीक्षाओं (अनुकम्पा/स्पोर्ट कोटा, स्काउट एवं गाईड कोटा आदि) की सूचना सतर्कता विभाग, पूमरे, हाजीपुर को समय पर देने की व्यवस्था की जाए।

उपरोक्त पर वरि0 उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

11/1/24

(उज्जवल आनन्द)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/(ले. एवं का.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)/हाजीपुर

SIL No. 03/2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर—844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50		दिनांकः— 11 .01.2024

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः— कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में पायी गयी अनियमितता के पहलू पर निवारक जॉच।

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों के वाणिज्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका की सतर्कता विभाग के द्वारा जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि विभिन्न वरि मंडल वाणिज्य प्रबंधक के अधीन वाणिज्य नियंत्रक कार्यालय के द्वारा बडी संख्या में कन्ट्रोल आदेश के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार किए जा रहे स्थानांतरणों में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी हैः—

01. कन्ट्रोल आदेश के आधार पर कर्मचारियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन (कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के बिना) पर लम्बी अवधि (6 माह से अधिक) के लिए स्थानांतरण किया जा रहा है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
02. कन्ट्रोल डायरी में कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बजाय सिर्फ नाम दर्ज किया जा रहा है।
03. कन्ट्रोल डायरी में नामित स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के द्वारा ऐसे मामलों में आदेश दिये जाने से बाद में इनकार किया जा रहा है।
04. कन्ट्रोल आदेश के आलोक में स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु प्रेषित मस्टरशीट कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल से भेजा जा रहा हैं एवं मस्टरशीट में हस्ताक्षर के जगह 'पी' दर्ज किया जा रहा है।
05. कन्ट्रोल आदेश के आलोक में लम्बी अवधि से पदस्थापित कर्मचारियों को भत्ता (मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि) कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल के अनुसार किया जा रहा हैं।

उपरोक्त अनियमितताएँ को रोकने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि कन्ट्रोल मैसेज के द्वारा स्थानांतरण की परिपाटी पूरी तरह बंद की जाए। संबंधित शाखाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय—समय पर कन्ट्रोल डायरी का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कन्ट्रोल डायरी द्वारा किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। साथ ही इस प्रकार के मामलें भविष्य में संज्ञान में आने पर संबंधित शाखाधिकारी के उपर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

कृप्या उपरोक्त दिशा—निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार—पत्र जारी किया जाय एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

उक्त पर वरि. उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

11/1/24

(उज्जवल आनन्द)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/(ले. एवं का.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)/हाजीपुर

SIL No. 02/2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर–844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50		दिनांकः– 11.01.2024

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः– कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में पायी गयी अनियमितता के पहलू पर निवारक जॉच।

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत परिचालन विभाग के कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका पर सतर्कता जॉच के दौरान निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी हैः–

01. मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर कर्मचारियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन (कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के बिना) पर लम्बी अवधि (6 माह से अधिक) के लिए स्थानांतरण किया जा रहा है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
02. मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज से स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के द्वारा ऐसे मामलों में आदेश दिये जाने से बाद में इनकार किया जा रहा है।
03. मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु प्रेषित मस्टरशीट कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल से भेजा जा रहा हैं एवं मस्टरशीट में हस्ताक्षर के जगह 'पी' दर्ज किया जा रहा है।
04. मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर लम्बी अवधि से पदस्थापित कर्मचारियों को भत्ता (मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि) कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल के अनुसार दिया जा रहा हैं।

उपरोक्त अनियमितताएँ को रोकने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के द्वारा स्थानांतरण की परिपाटी पूरी तरह बंद की जाए। संबंधित शाखाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। साथ ही इस प्रकार के मामलें भविष्य में संज्ञान में आने पर संबंधित शाखाधिकारी के उपर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

कृप्या उपरोक्त दिशा–निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार–पत्र जारी किया जाय एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

उक्त पर वरि. उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

11/1/24

(उज्जवल आनन्द)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/(ले. एवं का.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)/हाजीपुर

SIL No. 01 /2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर–844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50		दिनांकः– 11 .01.2024

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः– टंकण जॉच के अवधि में कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक के अनुचित प्रयोग के संबंध में।

सतर्कता संगठन को प्राप्त परिवाद के मामलें में जॉच के दौरान पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में लिपकीय पद हेतु (विभिन्न श्रोतो से नियुक्त कर्मचारी जैसे–अनुकम्पा/खेल–कुद कोटा/सांस्कृतिक कोटा/स्काउट एंड गाईड कोटा या ग्रुप "डी" से अवर लिपिक के पद पर पदोन्नति पर) टंकण जॉच परीक्षा आयोजित किया गया था। मंडल द्वारा आयोजित टंकण जॉच में देखा गया कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित अवसर को बचाने के लिए एवं प्रावधानित टंकण जॉच से छूट का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक का अनुचित उपयोग किया गया है।

उक्त के आलोक में टंकण जॉच हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुपालन के साथ–साथ निम्न तथ्यों का भी अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैः–

01. **टंकण जॉच हेतु जारी अधिसूचना एवं टंकण जॉच तिथि की सूचना संबधित रेल चिकित्सालय को दिया जाये।**
02. **टंकण जॉच हेतु यदि पात्र कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक लिया जा रहा है और वह अवधि टंकण जॉच हेतु निर्धारित तिथि की अवधि का हो, तो इसकी स्वीकृति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से लिया जाये।**

कृप्या उक्त के संबंध में उपरोक्त दिशा–निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार–पत्र जारी किया जाय एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

उक्त पर वरि. उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

11/1/24

(उज्जवल आनन्द)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/(ले. एवं का.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)/हाजीपुर

SIL No- 14 /2023

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
संः पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक 07-11-2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

एवं

प्रधान वित सलाहकार

पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा के ओएमआर शीट को ओएमआर शीट रीडर मशीन से जॉच कराने की व्यवस्था करने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के मंडलो / यूनिटो में नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित हो रही है, जिसमें काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों पर सतर्कता विभाग के जॉच के क्रम में पाया गया है कि ओएमआर शीट की जॉच करते समय मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा कुछ **"गलत प्रश्नों को सही"** एवं **"सही प्रश्नों को गलत"** कर दिया जाता है। इन गलतियों का प्रभाव अधिकांश मामलों में अंतिम परिणाम पर नही पड़ा है। ज्यादातर गलतियॉ छोटी है और अंको में अधिक अंतर नही पाया गया है। लेकिन ऐसी गलतियॉ मानवीय भूल के कारण परिणाम को प्रभावित कर सकती है, जिससे ना सिर्फ परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि मूल्यांकन अधिकारी भी सतर्कता दृष्टिकोण के संदेह के दायरे में आ सकते हैं। ऐसी गलतियॉ कई सतर्कता जॉचों में पायी गयी है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को शून्य करने हेतु ओएमआर शीट को Optical mark reader (OMR Scanner) से जॉच करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि मशीनों द्वारा उत्तर पुस्तिका की जॉच की गई है तो जिस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ओएमआर पर आयोजित परिक्षाओं में कापियों के एक तयशुदा प्रतिशत को क्रास चेक किया जाता था, उसी प्रकार विभागीय परीक्षाओं में भी जॉची गयी उत्तर पुस्तिकाओं में कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा अवश्य किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

7/11/23

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता / पूमरे / हाजीपुर

SIL No- 13 /2023

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबधंक/सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
		दिनांक : 28.09.2023

सं: पूमरे/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित सलाहकार
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

विषयः–नियुक्ति/विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा के विडियो रिकार्डिंग को संरक्षित रखने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में चयन हेतु आयोजित परीक्षा का मोबाईल से विडियों रिकार्डिंग करवाया जा रहा था।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले नियुक्ति/पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों का एवं परीक्षा की पूरी अवधि का विडियों रिकार्डिंग किया जाना चाहिए। साथ ही पूरी परीक्षा अवधि में कराये गये विडियों रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

28/9/23

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता/पूमरे/हाजीपुर

File No- ECR/vig/V2/PC/C/DNR/20230701073
Selection of CLI at DNR Divin.

SIL No. 08 /2023

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर–844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार		दिनांक 03.05.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः विभागीय परीक्षाओं का मॉडल उत्तर वेबसाइट पर डालने हेतु प्रणाली सुधार जारी करने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल में आयोजित विभागीय परीक्षाओं (LDCE/PR/CG/Special Quota) के समाप्ति के उपरांत मॉडल उत्तर (Answer key) पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है। इन परीक्षाओं में अनियमितता संबंधित कई शिकायतें सतर्कता विभाग को प्राप्त होती है।

उक्त शिकायतों को रोकने हेतु एवं विभागीय परीक्षाओं में पारदर्शिता बढाने हेतु विभागीय परीक्षाओं का मॉडल उत्तर (Answer key) परीक्षा के समाप्ति के अगले कार्यदिवस को पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट पर डाला जा सकता है, जिससे उक्त विभागीय परीक्षाओं में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा किये गये शिकायतें से भी काफी हद तक निजात पाया जा सकता है।

उपरोक्त पर वरि0 उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

3/5/23

(उज्जवल आनन्द)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ए & पी
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)/हाजीपुर

File no. ECR/Vig./V2/NG/Selection/JE/Elect./PC/NK

06/2023

SIL No. 05/2023

	East Central Railway	**Office of GM (Vigilance)** **Hajipur, Pin-844401**
File NO. ECR/System Improvement/V2/		**Date : 28.02.2023**

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- System improvement regarding entries in Service Book.

During Preventive Check in an office of East Central Railway, it is found that entries in service book were not done as per the page number given in the index page of that service book. It is further seen that the photographs and fingerprints impression of the employee was also missing in the service book. It could be possible that the same abnormality might be seen in other service books also.

Hence, it is suggested that a system improvement letter may be issued in this regard so that all upcoming entries should be made in the relevant pages as per index of the service book.

This issued with the approval of the SDGM/ECR/HJP.

28/2/23

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/A&P
For GM(Vigilance)/ECR/HJP

06/2023

प्रणाली सुधार पत्र (SIL) स. 05/2023

	पूर्व मध्य रेलवे	कार्यालय महाप्रबंधक (सतर्कता) हाजीपुर, पिन -844401
फ़ाइल स.पुमरे/ /एसआईएल/भी-2/		दिनांक : 09.03.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेलवे
हाजीपुर

विषय :- सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ठि से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल मे जांच के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ठि उसके अनुक्रमणिका (इंडेक्स) मे वर्णित पेज संख्या के अनुसार नही किया जा रहा है. पुन: यह भी देखा गया है कि उस सेवा पुस्तिका मे कर्मचारी का फोटोग्राफ एव्म अंगुली का चिन्ह (फिंगरप्रिट) भी नही था. ऐसा संभव है कि ऐसी अनियमितता अन्य सेवा पुस्तिकाओ मे भी हो.

अतः मामले को संज्ञान मे रखकर ये अनुशंसा की जाती है कि एक प्रणाली सुधार पत्र इस सम्बध मे जारी किया जाये ताकि भविष्य मे सेवा पुस्तिका मे अगामी सभी प्रविष्ठिया अनुक्रमणिका (इंडेक्स) मे वर्णित पेज संख्या के अनुसार किया जाय.

इस विषय पर वारिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9/3/23

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/कार्मिक एवं लेखा
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता), पुमरे, हाजीपुर

SIL No. 05/2023

East Central Railway	Office of GM (Vigilance) Hajipur, Pin-844401
File NO. ECR/System Improvement/V2/	Date : 28.02.2023

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- **System improvement regarding entries in Service Book.**

During Preventive Check in an office of East Central Railway, it is found that entries in service book were not done as per the page number given in the index page of that service book. It is further seen that the photographs and fingerprints impression of the employee was also missing in the service book. It could be possible that the same abnormality might be seen in other service books also.

Hence, it is suggested that a system improvement letter may be issued in this regard so that all upcoming entries should be made in the relevant pages as per index of the service book.

This issued with the approval of the SDGM/ECR/HJP.

28/2/23

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/A&P
For GM(Vigilance)/ECR/HJP

प्रणाली सुधार पत्र (SIL) स. 05/2023

	पूर्व मध्य रेलवे	**कार्यालय महाप्रबंधक (सतर्कता) हाजीपुर, पिन -844401**
फ़ाइल स.पुमरे/ /एसआईएल/भी-2/		दिनांक : 09.03.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेलवे

हाजीपुर

विषय :- सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ठि से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल मे जांच के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ठि उसके अनुक्रमणिका (इंडेक्स) मे वर्णित पेज संख्या के अनुसार नही किया जा रहा है. पुन: यह भी देखा गया है कि उस सेवा पुस्तिका मे कर्मचारी का फोटोग्राफ एव्म अंगुली का चिन्ह (फिंगरप्रिट) भी नही था. ऐसा संभव है कि ऐसी अनियमितता अन्य सेवा पुस्तिकाओ मे भी हो.

अतः मामले को संज्ञान मे रखकर ये अनुशंसा की जाती है कि एक प्रणाली सुधार पत्र इस सम्बध मे जारी किया जाये ताकि भविष्य मे सेवा पुस्तिका मे अगामी सभी प्रविष्ठिया अनुक्रमणिका (इंडेक्स) मे वर्णित पेज संख्या के अनुसार किया जाय.

इस विषय पर वारिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9/3/23

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/कार्मिक एवं लेखा

कृते महाप्रबंधक (सतर्कता), पुमरे, हाजीपुर

SIL No- 03 /2023

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबधंक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं: पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 08.02.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति / सुयोग्यजा जॉच आदि के लिए आयोजित परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री लाने हेतु मनाही के संबंध में–

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच हेतु जारी अधिसूचना अथवा बुलावा पत्र में प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा कक्ष में लाने की मनाही का उल्लेख नही रहने से संबंधित मामला सतर्कता विभाग के संज्ञान में आया है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित परीक्षाओ के लिए जारी अधिसूचना अथवा परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि परीक्षा के दौरान परीक्षा परिसर के अन्दर बैग, किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्केनर स्टोरेज डिवाइस, ब्लू टूथ व अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट आदि वर्जित और प्रतिबंधित है। किसी भी उम्मीदवार / परीक्षार्थी के पास उपरोक्त वर्णित सामग्री पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने के साथ–साथ उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

8/2/23

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

एसआईएल सं 06/2022

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक/सर्तकता हाजीपुर–844101
पत्रांक– ECR/Vig/Sys. improvement/50/2022		Dt.09.09..2022

प्रधान वित सलाहकार
एवं
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय–रेल कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण भुगतान की राशि को किस्तों में वसूली में अनियमिता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जॉच के दौरान रेलवे कर्मचारियों के ओवर पेमेंट की वसूली में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :–

पूर्व मध्य रेल के द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची 2018 (Schedule of powers 2018) के पैरा एफ/52 के अनुसार किसी रेलकर्मी को किए गए त्रुटिपूर्ण भुगतान के मामले में वसूली हेतु लेखा विभाग की सहमति किस्तों की संख्या तय करने हेतु आवश्यक है। लेकिन पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जॉच के दौरान यह पाया गया कि किस्त का निर्धारण बिना लेखा विभाग की सहमति के बिना कटौती की जा रही थी। साथ ही कटौती में विलंब भी किया जा रहा था। लेखा विभाग के द्वारा सहमति प्राप्त न करने के कारण कटौती में निरंतरता भी नही थी और बिना कटौती पूर्ण किए मासिक किस्त बंद कर दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों को शक्तियों की अनुसूची 2018 (Schedule of powers 2018) के पैरा एफ/52 के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दिया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9/9/22

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी/लेखा
महाप्रबंधक/सर्तकता/पूमरे/हाजीपुर

File No-ECR/Vig/V-2/NG/SPJ/07/2021/2021-07-00051

SIL No. 05/2022

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक(सतर्कता) हाजीपुर–844101
पत्र सं0 ईसीआर/सतर्कता/प्रणाली सुधार/50		दिनांक 26.07.2022

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषयः रेल कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितो को समापक भुगतान के मामलें में जारी निर्देश।

सतर्कता संगठन को प्राप्त एक परिवाद की जॉच के दौरान पाया गया कि एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत समापक राशि को प्राप्त करने हेतु मृत कर्मचारी के तलाकशुदा पति एवं मृत कार्मचारी पर आश्रित पुत्र ने आवेदन किया। महाप्रबंधक/विधि के विधिय सलाह के पश्चात् उक्त दोनो आवेदको से उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। इसी क्रम में आश्रित पुत्र की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् तलाकशुदा पति ने उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर समापक राशि का भुगतान अपने पक्ष में करा लिया। जबकि रेलवे सेवा(पेंशन) नियमावली 1993 के पैरा 70(5) के अनुसार तलाकशुदा पति को ग्रेच्युटी का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है। अतः इस मामलें मे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। बल्कि रेलवे सेवा(पेंशन) नियमावली 1993 के पैरा 70(5) के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः इस प्रगामी अनियमितता को रोकने हेतु मंडल/युनिट को निर्देशित किया जा सकता है किः–

ऐसे मामलें जिनमें उतराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उसमें बिल तैयार करने वाले एवं पास करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा सावधानी से यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों के आलोक में उतराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है भी अथवा नहीं। रूटिन वे में बिना आवश्यकता के अनावश्यक उतराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग न की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उतराधिकारी प्रमाण पत्र सभी दावेदारों के विरूद्ध वाद दायर करके प्राप्त किया गया है अथवां नहीं। एक पक्षीय उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की स्थिति में सभी संबंधित पक्षों को पक्षकार बनाकर पुनः उतराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कहा जाना चाहिए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

26/7/22

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ए & पी
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)/हाजीपुर

Neeraj K.
(CVI/P)

File no. ECR/Vig./V2/C/NG/DNR/2020010483/44

309/A

प्रणाली सुधार सं0 17/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर
सं0 पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक 03.12.2021

कार्यकारी निदेशक स्थापना(आरआरबी)
रेलवे बोर्ड, कमरा सं0 457,
रेल भवन, नई दिल्ली

विषयः रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीबीटी परीक्षाओं में अनियमितता होने की संभावना।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय रोजगार अधिसूचना सं0 01/2019 के अन्तर्गत एनटीपीसी पद के लिए RRB/Patna, RRB/MFP & RRB/RNC के द्वारा Computer based Test कराने हेतु पटना, गया, आरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, धनबाद एवं हजारीबाग के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा करायी गई।

सतर्कता जाँच के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर तैनात परियेक्षक उसी केन्द्र / निजी संस्था के होते है। इनके द्वारा भी स्वयं परीक्षार्थी बन कर परीक्षा में बैठने की संभावना हो सकती है। उक्त अनियमितता होने की संभावना को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारण किया जा सकता है:-

1. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का संचालन कर रहे निजी संस्था के कर्मचारी परीक्षक(Invigilator) के रूप में तैनात न हों, बल्कि ECA(Examination Conducting Agency) के कर्मचारी परीक्षक के रूप में तैनात हो। रेलवे ऑब्जर्वर एवं रेलवे सुपरवाईजर के द्वारा इन परीक्षकों(Invigilator) के पहचान पत्र की जॉच सुनिश्चित की जाए।
2. परीक्षा केन्द्र में लैब के अंदर ECA द्वारा नामित परीक्षक(Invigilator), रेलवे ऑब्जर्वर, रेलवे सुपरवाईजर एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व परीक्षा केन्द्र का भलीभांति जॉच वहाँ उपस्थित रेलवे के पर्यवेक्षक(Railway observer) के द्वारा किया जाना चाहिए।
4. परीक्षा केन्द्र पर तैनात ECA(Examination Conducting Agency) के परीक्षकों का साप्ताहिक स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्र पर यादृच्छिक(Random) तरीके से किया जाए। यह स्थानांतरण अध्यक्ष / रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

3/12/21
(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / ले0& का0

प्रतिलिपिः 1. कार्यकारी निदेशक सतर्कता(लेखा) / रेलवे बोर्ड / नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड / महेन्द्रुघाट, पटना।

3/12/21

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / ले0& का0
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

(505 to 507)

03.12.21

उ0प्रति
3.12.21

(File no. ECR/Vig./V2/PC/RRB/0124/NK)

प्रणाली सुधार पत्र (SIL) सं. 16/2021

308

	पूर्व मध्य रेलवे	कार्यालय महाप्रबंधक (सतर्कता) हाजीपुर, पिन -844401
फाइल सं.पूमरे/प्रणाली सुधार/नी-2/		दिनांक : 21.12.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेलवे
हाजीपुर

विषय :- सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र निर्गत कराने के संबंध में ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल में निवारक जांच के दौरान पाया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र संबन्धित दंडित कर्मचारी को निर्धारित अवधि में निर्गत नहीं हो सका एवं वह रेलसेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत हो गया। इस मामले मे ऐसा देखा गया कि आरोप पत्र निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राप्ति लिपिक द्वारा इसको ई-ऑफिस पर अपलोड कर एक उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर भेज दिया गया। इस आरोप पत्र को उस उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर बिना किसी कारवाई के लंबे समय तक लंबित रखा गया। बाद मे इसको कार्मिक विभाग के माध्यम से नहीं भेजा गया। इसी बीच संबन्धित कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त कर लिया गया। अतः सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र को संबंधित कर्मी को प्रदान नहीं किया जा सका।

अतः भविष्य मे उक्त घटना कि पुनरावृति को रोकने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाया जा सकता है :

1. सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र केवल विशेष पत्रवाहक द्वारा संबंधित इकाई को निर्गत किया जाए। कार्मिक विभाग का यह दायित्व होगा कि इसको मण्डल रेल प्रबन्धक एवं शाखाध्यक्ष के संज्ञान में लाये एवं इसका निष्पादन करवाये ।

2. इस मामले मे यह भी पाया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजो के आधार पर बिना सतर्कता विभाग से संपर्क किए भी विजलेंस क्लीयरंस जारी किया जा रहा है। यद्यपि सतर्कता विभाग द्वारा ही विजलेंस क्लीयरंस जारी किया जाना उचित है, किन्तु यदि बड़ी संख्या मे विजलेंस क्लीयरंस के लिए सतर्कता विभाग को भेजना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, तो कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजो के आधार पर विजलेंस क्लीयरंस जारी करने की प्रक्रिया को केवल उन मामले मे अपनाया जा सकता है, जिनका संबंध पदोन्नत्ति, MACP, आंतरिक स्थानांतरण इत्यादि से हो। किन्तु उन मामलो मे जहाँ रेलकर्मी रेल सेवा से बाहर जा रहा हो अथवा रेलसेवा से उसका संबंध विच्छेद हो रहा हो यथा अधिवार्षिता, स्वैछिक सेवानिवृति, प्रतिनियुक्ति, तकनीकी सेवाविमुक्ति की स्थिति इत्यादि, सतर्कता विभाग से ही विजलेंस क्लीयरंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

कृपया उक्त के संबंध मे उपर्युक्त दिशानिर्देश से संबन्धित प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी निर्गत किया जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

21/12/21

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/कार्मिक एवं भंडार
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता), पूमरे, हाजीपुर

224 305

SIL No.14/2021

	East Central Railway	Office of The General Manager (Vigilance), Hajipur Pin -844401
File No.ECR/Vig/V2/C/NG/MGS/20181100661/		Date : 20.10.2021

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- SIL regarding working of staff from one unit to another without written order.

During investigation of a complain case in one division of ECR, it was found that many staff of one unit were working outside in lieu of working in their own unit. It is also found that there was no record of the period since when the staff were working outside and the staffs were working outside of their own unit on verbal order of the higher officers. Their salaries were being charged on the basis of Check Sheets received from the concerned supervisor under whom they were working outside.

The matter was discussed with the Branch Officer who was unaware of this fact as this practice was continued since very long. It is possible that same practice might be following in other divisions also.

Therefore considering the facts of the matter, it is advised that if any staff works outside of their own unit then written order should be issued properly in this regard.

This issued with the approval of SDGM.

20/10/21

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/Accounts &Personnel
For GM (Vigilance)/ECR/HJP

325
26/10/21

Implementation

File No.ECR-HQ0VIGI(PC)/26/2020-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR

297

SIL No.11 /2021

	East Central Railwah	Office of the General Manager/P Hajipur-844101
Letter No— ECR/Vig/Syc.improvement/50/2021		Dt.24.08.2021

PCPO
ECR/Hajipur

Sub- Proper Arrangement of Mock Test and Prevention of hacking/cyber-crime during conduct of Computer Based Test in Departmental Examination.

During a preventive check in Danapur Division it is seen that a computer Based Test (CBT) Examination was organised by Personnel Department/DNR for the post of JE/Signal on 12.09.2020. This examination was planned to be conducted in CBT mode. But due to sudden technical fault, before starting the examination, CBT mode had been changed to Written Mode (OMR Sheet), which resulted in delay in conducting examination as well as sudden change in mode of examination. Further, this examination was planned to be conducted in three different shifts in CBT mode, but due to technical error it was conducted in one Shift in Written Mode. This shows that there was lack of proper preparation.

It is therefore suggested that before organizing any computer based test, technical checks should be done beforehand to ensure smooth conduct of CBT. Further, proper security arrangements should also be made to prevent any hacking/cyber crime.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/A&P
For General Manager (Vig)
ECR/HJP

Signed by Ujjawal Anand
Date: 25-08-2021 16:25:00
Reason: Approved

File No.ECR-HQ/31/2021-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR

एसआईएल सं 06/2021 290

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर–844101
पत्रांक– ECR/Vig/Syc.improvement/50/2021		Di23.06.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय–सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपना उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

सतर्कता विभाग द्वारा एक मंडल में किए गए निवारक जॉच के दौरान निम्नलिखित अनियमिताएँ संज्ञान मे आयी हैः–

(1) विभिन्न ईकाई में कार्यरत कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा उपस्थित पंजिका में उपस्थिति दर्ज न करवाकर इसके स्थान पर मस्टर रौल में पी–पी दर्ज किया जाता है।

(2) एक मामले में पाया गया कि दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका ही नही थी जिसके कारण माह के 06 तारीख से 21 तारिख तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति नही बनायी गयी। इसे रोकने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक के साथ साथ मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक की भी थी। लेकिन इसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसे उजागर नही किया जा सका।

(3) दानापुर मंडल से ही एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी दो उपस्थिति पंजिका मे हस्ताक्षर करते थे, जिसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान उजागर नही किया गया।

उपरोक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि **पूर्व मध्य रेल के सभी *कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।*** समय–समय पर संबंधित बीट के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसकी जॉच की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी / लेखा व कार्मिक
महाप्रबंधक / सर्तकता / पूरे / हाजीपुर

Signed by Ujjawal Anand
Date: 23-06-2021 14:17:39

File-ECR/Vig/V2/PC/NG/DNR/2020090122?/BTA

File No.ECR-HQ/227/2020-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR 289 [redacted]

एसआईएल सं– 05/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर–844101
पत्रांक– ECR/Vig/System Improvement/50/2021		Dt.03 06 2021 (06)

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय–पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र पुछे जाने के संबंध में।

मुख्यालय हाजीपुर में लेखा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित Appendix-II, IREM Exam 2019 की परीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल, दानापुर / खगौल में दिनांक–08.10.2020 से 10.10.2020 तक आयोजित किया गया जिसमें सतर्कता संज्ञान में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न–पत्र पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम एवं कमांक अंकित करने का कोई प्रावधान नही है। इससे प्रश्न–पत्र पर उत्तर में निशान लगाकर अदला बदली करने की संभावना है। अतः प्रश्न–पत्र पर ही नाम एवं कमांक अंकित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो / इकाई में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न–पत्र से ली जाने वाली पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु विभागीय परीक्षा में प्रत्येक [illegible]र्थी द्वारा अपना नाम एवं रौल नम्बर प्रश्न–पत्र पर दर्ज करने का प्रावधान किया जाए।

Signed by Ujjawal Anand
Date: 06-06-2021 16:22:17
Reason: Approved

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा व कार्मिक
महाप्रबंधक / सर्तकता / पूमरे / हाजीपुर

East Central Railway

O/o ____________

____

(Name of the office)

No.____________________(Relevant File Number)   Date ______ (Issuing date)

To

____

____

Sub :- Sparing of staff to appear in Departmental Examination for ____________

Ref. :- Letter NO. ________ dated ________

Following candidate is hereby spared from this end to appear in the above examination. Particulars of the candidate alongwith attested photo and signature is produced below :-

Name :-

Designation :-

Name of exam :-

Venue of exam :-

Date of exam :-

Reporting Time :-

Signature of the candidate :- [ ] Signature Attested

Photograph of the candidate :- [ ] Photograph Attested

(Signature of Issuing Authority
With Name, Designation & office Seal)

SIL No. 03/2021

	EAST CENTRAL RAILWAY	Office of the General Manager (Vig), Hajipur, Pin-844101
No.ECR/Vig./System Improvement/		Date :- 01.04.2021

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- Lack of uniform policy in issuing of sparing letter to candidates for appearing in the Departmental Examination.

During a preventive check of a departmental examination of ECR by Vigilance team, it has been observed that there is no uniformity in issuing of sparing letter to candidates for appearing in Departmental examinations. It is found in some of the cases that photographs/signatures were not duly attested by the competent authority. It is also found in some of the cases that even specimen signatures, photos were missing.

Therefore, it is requested to issue necessary instructions to all the divisions of ECR to follow the uniform policy at the time of issuing sparing letter of candidates to appear in the departmental examination with proper photograph & specimen signature of candidates duly attested by the competent authority.

A format of Sparing Letter is also enclosed herewith for reference.

DA :- As above.

Signed by Ujjawal Anand
Date: 05-04-2021 12:13:50
Reason: Approved

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For General Manager/Vigilance

East Central Railway

O/o__________
____
(Name of the office)

No.____________________(Relevant File Number) Date ______ (issuing date)

To
____
____

Sub :- Sparing of staff to appear in Departmental Examination for __________

Ref. :- Letter NO.________ dated________

Following candidate is hereby spared from this end to appear in the above examination. Particulars of the candidate alongwith attested photo and signature is produced below :-

Name :-

Designation :-

Name of exam :-

Venue of exam :-

Date of exam :-

Reporting Time :-

Signature of the candidate :- [ ] Signature Attested

Photograph of the candidate :- [ ] Photograph Attested

(Signature of Issuing Authority
With Name, Designation & office Seal)

एसआईएल सं– 02/2021 (285)

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सर्तकता हाजीपुर–844101
पत्रांक– ECR/Vig/Syc.improvement/50/2015		Dt. 04.02.2021

प्रधान वित सलाहकार
एवं
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय–स्कूटर / मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत मूलधन क्रय तथा इसकी वसूली में अनियमिता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्कूटर / मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत क्रय तथा इसकी वसूली संबंधित दस्तावेजों का निवारक जॉच के दौरान निम्न अनियमितताए पाई गई :–

1. स्कूटर अग्रिम की स्वीकृत के एक माह के अन्दर क्रय संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, जो नही किया गया।
2. यदि स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध कर्मचारी क्रय नही करता है तो उसे मूलधन एवं ब्याज की एक मुश्त राशि जमा कर देना चाहिए, जो नही किया गया।
3. स्वीकृत अग्रिम की कटौती, स्वीकृति माह के अगले माह के वेतन से प्रारंभ किया चाहिए एवं मूलधन की कटौती पूर्ण होने के उपरांत ब्याज की गणना कर ब्याज की कटौती किया जाना चाहिए, जो नही किया गया।
4. इसी प्रकार स्वर्गवास / सेवानिवृति / स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों का बकाया शेष रहने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया जो जारी नही किया जाना चाहिए था।
5. कुछ कर्मचारियों ने नियत अवधि में स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध स्कूटर / कम्प्यूटर का क्रय नही किया था। वैसे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए था जो नही किया गया।
6. स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध निर्धारित ब्याज की गणना कर कटौती नही किया गया है। अतएव इसकी कटौती किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलोक में अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो / यूनिटों को निर्देशित किया जाए कि सभी प्रकार के स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध मूलधन एवं ब्याज के बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी कराया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

4/2/21
(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी / लेखा
महाप्रबंधक / सर्तकता / पमरे / हाजीपर

Scanned with CamScanner

284

SIL No- 01/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबधंक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
संः पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 05.02.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति / सुयोग्यजा जॉच आदि के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का विडियों रिकार्डिंग कराने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच अथवा सभी प्रकार के नियुक्ति संबंधित आयोजित लिखित परीक्षाओं के समाप्ति के उपरांत प्राप्त शिकायत के अनुसार सतर्कता विभाग को संज्ञान में आया है कि :–

1. परीक्षा के दौरान कर्मचरियों द्वारा मोबाईल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर लिखते पाया गया है।
2. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक दूसरे के नजदीक बैठाया जाता है।
3. एक साथ बहुत परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति दे दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा परीक्षा में कदाचार / अनियमिता संबंधित काफी शिकायत प्राप्त होती रहती है। परन्तु परीक्षा समाप्ति के उपरांत विडियों रिकार्डिंग के अभाव में पूर्ण जॉच कर पाना संभव नही होता है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित लिखित परीक्षाओं का विडियों रिकार्डिंग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

5/2/21

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

File No-ECR/Vig/V-2/C/NG/HO/2018-12-00697/261

Scanned with CamScanner

SIL No.18

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर
सं० पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषयः पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जाँच के उपरान्त प्रकाश में आया कि एक सेवानिवृत कर्मचारी है का पुनर्नियोजन(Re-engagement) के उपरांत उनके द्वारा पदस्थापना स्थल पर बिना योगदान दिये ही इनके पक्ष में लगातार आठ माह(नवम्बर 2018 से जून 2019) तक कुल 242536/– रूपये का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया था। इस मामलें में संलिप्त कर्मचारी द्वारा पुनर्नियोजित कर्मचारी का ज्वानिग रिपोर्ट/मास्टर रोल की जाँच किये बिना ही वेतन चार्ज कर दिया था जिसके लिये उन्हें दीर्घ दण्ड से अधिरोपित किया गया है। साथ ही साथ पुनर्नियोजित कर्मचारी के पक्ष में भुगतान किये गये कुल राशि 242536/– रूपये की वसूली भी की गई।

सतर्कता जाँच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत रेल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तैयार वेतन विपत्रों के साथ पुनर्नियोजित कर्मचारियों का ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल लेखा कार्यालय को नहीं प्रेषित किया जाता है।

इस संदर्भ में, भविष्य में ऐसी किसी संभावित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वेतन विपत्र को तैयार करने से पूर्व पुनर्नियोजित कर्मचारियों के ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की अभिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना एवं वेतन विपत्र के साथ उसकी एक प्रति लेखा कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

29/10/2020

(उज्जवल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

Scanned with CamScanner

277

SIL No-17/2020

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं: पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषय:– कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में सतर्कता जॉच के उपरान्त यह प्रकाश में आया है कि कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के मामलें में विद्यमान नियमों PFRDA के पत्र सं0 PFRDA/2018/40/Exit dated 10.01.2018 तथा स्थानीय स्तर पर जे.पी.ओ. सं0 ECR/HRD/NPS/JPO/2019 Dt. 03.05.2019 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी है:–

1. कर्मचारी के आवेदन में अनिवार्य कॉलम (जैसे:–PRAN एवं Verified Date का कॉलम) का रिक्त होना।
2. भूमि कय हेतु धन निकासी का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निकासी स्वीकृत किया जाना।
3. एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी हेतु बीमारियों की निर्धारित सूची में वर्णित बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख कर्मचारियों द्वारा संलग्न दस्तावेज में नहीं किया जाना।
4. कर्मचारियों के आंशिक धन निकासी की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना।
5. Form: 601 PW में Receipt No., PRAN एवं Verified Date का कॉलम रिक्त रखना तथा Subscriber, DDO एवं PAO के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करना।
6. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी से संबंधित निकासी पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जाना।
7. निकासी आवेदन की हार्ड कॉपी एन.एस.डी.एल., नई दिल्ली को नहीं भेजा जाना।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के किसी भी मामलें को स्वीकृति से पूर्व पायी गई अनियमितता का निराकरण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

अत: उपरोक्त तथ्य आपके संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जा रहे है। कृप्या कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

29/10/2020

(उज्जवल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

Scanned with CamScanner

273.

File No.ECR-HQ0VIGI(INV)/2/2020-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR

SIL No. 16 /2020

	EAST CENTRAL RAILWAY	Office of the General Manager(Vig) Hajipur (Bihar) Pin- 844101
No. ECR/Vig/System Improvement/50		Dated: 09.10.2020

Principal Chief Personnel Officer,
East Central Railway,
Hajipur

Sub:- Preventive check on verification of certificate of the candidate recruited through sports quota.

****

During a preventive check in one division of ECR by vigilance, it has been observed that one of the candidates was found suitable on the basis of achievement certificate in sports. Letter was sent to sports officer concerned to verify the genuineness of the aforesaid sports achievement certificate. At the time of verification of certificate, sports officer had added new para in verification of certificate which was not examined by the department and provisional appointment letter was issued in favour of aforesaid candidate. Accordingly said candidate joined in Railway.

On the basis of complaint of another candidate, the candidature of the aforesaid candidate was examined and it was found that the candidate had concealed the fact regarding achievement of sports at the time of filling up the application form. Finally he was dismissed from Railway service.

It is requested to instruct all concerned to ensure that sports achievement certificates which are received from the concerned authorities duly verified should be compared properly with the documents/certificates submitted by the candidates at the time of filling up the application form to avoid any disputes/ complication in future.

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer (A)
For General Manager/Vigilance

Digitally signed by UJJAWAL ANAND
Date:Fri Oct 09 16:30:11 IST 2020
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

SIL No-17/2020

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं: पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः– कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में सतर्कता जॉच के उपरान्त यह प्रकाश में आया है कि कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के मामलें में विद्यमान नियमों PFRDA के पत्र सं0 PFRDA/2018/40/Exit dated 10.01.2018 तथा स्थानीय स्तर पर जे.पी.ओ. सं0 ECR/HRD/NPS/JPO/2019 Dt. 03.05.2019 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी है:–

1. कर्मचारी के आवेदन में अनिवार्य कॉलम (जैसे:–PRAN एवं Verified Date का कॉलम) का रिक्त होना।
2. भूमि कय हेतु धन निकासी का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निकासी स्वीकृत किया जाना।
3. एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी हेतु बीमारियों की निर्धारित सूची में वर्णित बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख कर्मचारियों द्वारा संलग्न दस्तावेज में नहीं किया जाना।
4. कर्मचारियों के आंशिक धन निकासी की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना।
5. Form: 601 PW में Receipt No., PRAN एवं Verified Date का कॉलम रिक्त रखना तथा Subscriber, DDO एवं PAO के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करना।
6. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी से संबंधित निकासी पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जाना।
7. निकासी आवेदन की हार्ड कॉपी एन.एस.डी.एल., नई दिल्ली को नहीं भेजा जाना।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के किसी भी मामलें को स्वीकृति से पूर्व पायी गई अनियमितता का निराकरण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

अत: उपरोक्त तथ्य आपके संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जा रहे है। कृप्या कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

29/10/2020

(उज्जवल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

Scanned with CamScanner

SIL No.18

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर
सं0 पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषयः पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जॉच के उपरान्त प्रकाश में आया कि एक सेवानिवृत कर्मचारी है का पुनर्नियोजन(Re-engagement) के उपरांत उनके द्वारा पदस्थापना स्थल पर बिना योगदान दिये ही इनके पक्ष में लगातार आठ माह(नवम्बर 2018 से जून 2019) तक कुल 242536/– रूपये का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया था। इस मामलें में संलिप्त कर्मचारी द्वारा पुनर्नियोजित कर्मचारी का ज्वांनिग रिपोर्ट/मास्टर रोल की जॉच किये बिना ही वेतन चार्ज कर दिया था जिसके लिये उन्हें दीर्घ दण्ड से अधिरोपित किया गया है। साथ ही साथ पुनर्नियोजित कर्मचारी के पक्ष में भुगतान किये गये कुल राशि 242536/– रूपये की वसूली भी की गई।

सतर्कता जॉच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत रेल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तैयार वेतन विपत्रों के साथ पुनर्नियोजित कर्मचारियों का ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल लेखा कार्यालय को नहीं प्रेषित किया जाता है।

इस संदर्भ में, भविष्य में ऐसी किसी संभावित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वेतन विपत्र को तैयार करने से पूर्व पुनर्नियोजित कर्मचारियों के ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की अभिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना एवं वेतन विपत्र के साथ उसकी एक प्रति लेखा कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

29/10/2020

(उज्जवल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

Scanned with CamScanner

(284)

SIL No- 01/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबधंक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
संः पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 05.02.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति / सुयोग्यजा जॉच आदि के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का विडियों रिकार्डिंग कराने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच अथवा सभी प्रकार के नियुक्ति संबंधित आयोजित लिखित परीक्षाओं के समाप्ति के उपरांत प्राप्त शिकायत के अनुसार सतर्कता विभाग को संज्ञान में आया है कि :–

1. परीक्षा के दौरान कर्मचरियों द्वारा मोबाईल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर लिखते पाया गया है।
2. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक दूसरे के नजदीक बैठाया जाता है।
3. एक साथ बहुत परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति दे दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा परीक्षा में कदाचार / अनियमिता संबंधित काफी शिकायत प्राप्त होती रहती है। परन्तु परीक्षा समाप्ति के उपरांत विडियों रिकार्डिंग के अभाव में पूर्ण जॉच कर पाना संभव नही होता है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति / सुयोग्यता जॉच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित लिखित परीक्षाओं का विडियों रिकार्डिंग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

5/2/21

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

File No- ECR/Vig/V-2/C/NG/HO/2018-12-00697/261

Scanned with CamScanner

एसआईएल सं- 02/2021

285

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सर्तकता हाजीपुर-844101
पत्रांक- ECR/Vig/Syc.improvement/50/2015		Dt. 04.02.2021

प्रधान वित सलाहकार
एवं
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय-स्कूटर / मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत मूलधन क्रय तथा इसकी वसूली में अनियमिता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्कूटर / मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत क्रय तथा इसकी वसूली संबंधित दस्तावेजों का निवारक जॉच के दौरान निम्न अनियमितताए पाई गई :-

1. स्कूटर अग्रिम की स्वीकृत के एक माह के अन्दर क्रय संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, जो नही किया गया।
2. यदि स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध कर्मचारी क्रय नही करता है तो उसे मूलधन एवं ब्याज की एक मुश्त राशि जमा कर देना चाहिए, जो नही किया गया।
3. स्वीकृत अग्रिम की कटौती, स्वीकृति माह के अगले माह के वेतन से प्रारंभ किया चाहिए एवं मूलधन की कटौती पूर्ण होने के उपरांत ब्याज की गणना कर ब्याज की कटौती किया जाना चाहिए, जो नही किया गया।
4. इसी प्रकार स्वर्गवास / सेवानिवृति / स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों का बकाया शेष रहने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया जो जारी नही किया जाना चाहिए था।
5. कुछ कर्मचारियों ने नियत अवधि में स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध स्कूटर / कम्प्यूटर का क्रय नही किया था। वैसे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए था जो नही किया गया।
6. स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध निर्धारित ब्याज की गणना कर कटौती नही किया गया है। अतएव इसकी कटौती किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलोक में अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो / यूनिटों को निर्देशित किया जाए कि सभी प्रकार के स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध मूलधन एवं ब्याज के बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी कराया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

4/2/21

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी / लेखा
महाप्रबंधक / सर्तकता / पमरे / हाजीपर

Scanned with CamScanner

SIL No. 03/2021

	EAST CENTRAL RAILWAY	Office of the General Manager (Vig), Hajipur, Pin-844101
No.ECR/Vig./System improvement/		Date :- 01.04.2021

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- Lack of uniform policy in issuing of sparing letter to candidates for appearing in the Departmental Examination.

During a preventive check of a departmental examination of ECR by Vigilance team, it has been observed that there is no uniformity in issuing of sparing letter to candidates for appearing in Departmental examinations. It is found in some of the cases that photographs/signatures were not duly attested by the competent authority. It is also found in some of the cases that even specimen signatures, photos were missing.

Therefore, it is requested to issue necessary instructions to all the divisions of ECR to follow the uniform policy at the time of issuing sparing letter of candidates to appear in the departmental examination with proper photograph & specimen signature of candidates duly attested by the competent authority.

A format of Sparing Letter is also enclosed herewith for reference.

DA :- As above.

Signed by Ujjawal Anand
Date: 05-04-2021 12:13:50
Reason: Approved

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For General Manager/Vigilance

East Central Railway

O/o__________

____

(Name of the office)

No.____________________(Relevant File Number) Date______ (issuing date)

To

____

____

Sub :- Sparing of staff to appear in Departmental Examination for __________

Ref. :- Letter NO.________ dated________

Following candidate is hereby spared from this end to appear in the above examination. Particulars of the candidate alongwith attested photo and signature is produced below :-

Name :-

Designation :-

Name of exam :-

Venue of exam :-

Date of exam :-

Reporting Time :-

Signature of the candidate :- Signature Attested

Photograph of the candidate :- Photograph Attested

(Signature of Issuing Authority
With Name, Designation & office Seal)

289

एसआईएल सं— 05/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर—844101
पत्रांक— ECR/Vig/System Improvement/50/2021		Dt.03.06.2021 (06)

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय—पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न—पत्र पुछे जाने के संबंध में।

मुख्यालय हाजीपुर में लेखा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित **Appendix-II, IREM Exam 2019** की परीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल, दानापुर / खगौल में दिनांक—08.10.2020 से 10.10.2020 तक आयोजित किया गया जिसमें सतर्कता संज्ञान में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न—पत्र पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम एवं कमांक अंकित करने का कोई प्रावधान नही है। इससे प्रश्न—पत्र पर उत्तर में निशान लगाकर अदला बदली करने की संभावना है। अतः प्रश्न—पत्र पर ही नाम एवं कमांक अंकित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो / इकाई में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न—पत्र से ली जाने वाली पदोन्नति / सुयोग्यता जाँच हेतु विभागीय परीक्षा में प्रत्येक [illegible]ारी द्वारा अपना नाम एवं रौल नम्बर प्रश्न—पत्र पर दर्ज करने का प्रावधान किया जाए।

Signed by Ujjawal Anand
Date: 06-06-2021 16:22:17
Reason: Approved

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा व कार्मिक
महाप्रबंधक / सतर्कता / पूमरे / हाजीपुर

File No.ECR-HQ/31/2021-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR

एसआईएल सं 06/2021 290

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर–844101 Dt.23.06.2021
पत्रांक– ECR/Vig/Syc.improvement/50/2021		

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय–सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपना उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

सतर्कता विभाग द्वारा एक मंडल में किए गए निवारक जॉच के दौरान निम्नलिखित अनियमिताएँ संज्ञान मे आयी हैः–

(1) विभिन्न ईकाई में कार्यरत कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा उपस्थित पंजिका में उपस्थिति दर्ज न करवाकर इसके स्थान पर मस्टर रौल में पी–पी दर्ज किया जाता है।

(2) एक मामले में पाया गया कि दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका ही नही थी जिसके कारण माह के 06 तारीख से 21 तारिख तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति नही बनायी गयी। इसे रोकने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक के साथ साथ मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक की भी थी। लेकिन इसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसे उजागर नही किया जा सका।

(3) दानापुर मंडल से ही एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी दो उपस्थिति पंजिका मे हस्ताक्षर करते थे, जिसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान उजागर नही किया गया।

उपरोक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि ***पूर्व मध्य रेल के सभी कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।*** समय–समय पर संबंधित बीट के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसकी जॉच की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी / लेखा व कार्मिक
महाप्रबंधक / सर्तकता / पूरे / हाजीपुर

Signed by Ujjawal Anand
Date: 23-06-2021 14:17:39

File-ECR/Vig/V2/PC/NG/DNR/2020090122?/BTA

Implementation

File No.ECR-HQ0VIGI(PC)/26/2020-O/o Dy.CVO/ACC./HQ/ECR

297

SIL No.11 /2021

	East Central Railwah	Office of the General Manager/P Hajipur-844101
Letter No— ECR/Vig/Syc.improvement/50/2021		Dt.24.08.2021

PCPO
ECR/Hajipur

Sub- Proper Arrangement of Mock Test and Prevention of hacking/cyber-crime during conduct of Computer Based Test in Departmental Examination.

During a preventive check in Danapur Division it is seen that a computer Based Test (CBT) Examination was organised by Personnel Department/DNR for the post of JE/Signal on 12.09.2020. This examination was planned to be conducted in CBT mode. But due to sudden technical fault, before starting the examination, CBT mode had been changed to Written Mode (OMR Sheet), which resulted in delay in conducting examination as well as sudden change in mode of examination. Further, this examination was planned to be conducted in three different shifts in CBT mode, but due to technical error it was conducted in one Shift in Written Mode. This shows that there was lack of proper preparation.

It is therefore suggested that before organizing any computer based test, technical checks should be done beforehand to ensure smooth conduct of CBT. Further, proper security arrangements should also be made to prevent any hacking/cyber crime.

This is issued with the approval of SDGM.

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/A&P
For General Manager (Vig)
ECR/HJP

Signed by Ujjawal Anand
Date: 25-08-2021 16:25:00
Reason: Approved

224 305

SIL No.14/2021

	East Central Railway	Office of The General Manager (Vigilance), Hajipur Pin -844401
File No.ECR/Vig/V2/C/NG/MGS/20181100661/		Date : 20.10.2021

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur

Sub :- SIL regarding working of staff from one unit to another without written order.

During investigation of a complain case in one division of ECR, it was found that many staff of one unit were working outside in lieu of working in their own unit. It is also found that there was no record of the period since when the staff were working outside and the staffs were working outside of their own unit on verbal order of the higher officers. Their salaries were being charged on the basis of Check Sheets received from the concerned supervisor under whom they were working outside.

The matter was discussed with the Branch Officer who was unaware of this fact as this practice was continued since very long. It is possible that same practice might be following in other divisions also.

Therefore considering the facts of the matter, it is advised that if any staff works outside of their own unit then written order should be issued properly in this regard.

This issued with the approval of SDGM.

20/10/21
(Ujjawal Anand)
Dy. CVO/Accounts &Personnel
For GM (Vigilance)/ECR/HJP

325
26/10/21

प्रणाली सुधार पत्र (SIL) सं. 16/2021

308

	पूर्व मध्य रेलवे	कार्यालय महाप्रबंधक (सतर्कता) हाजीपुर, पिन -844401
फाइल सं.पूमरे/प्रणाली सुधार/सी-2/		दिनांक : 21.12.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेलवे
हाजीपुर

विषय :- सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र निर्गत कराने के संबंध में ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल में नियारक जांच के दौरान पाया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र संबन्धित दंडित कर्मचारी को निर्धारित अवधि में निर्गत नहीं हो सका एवं वह रेलसेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत हो गया। इस मामले में ऐसा देखा गया कि आरोप पत्र निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राप्ति लिपिक द्वारा इसको ई-ऑफिस पर अपलोड कर एक उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर भेज दिया गया। इस आरोप पत्र को उस उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर बिना किसी कारवाई के लंबे समय तक संचित रखा गया। बाद में इसको कार्मिक विभाग के माध्यम से नहीं भेजा गया। इसी बीच संबन्धित कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त कर लिया गया। अतः सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र को संबंधित कर्मी को प्रदान नहीं किया जा सका।

अतः भविष्य में उक्त घटना कि पुनरावृति को रोकने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाया जा सकता है :

1. सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र केवल विशेष पत्रवाहक द्वारा संबंधित इकाई को निर्गत किया जाए। कार्मिक विभाग का यह दायित्व होगा कि इसको मण्डल रेल प्रबन्धक एवं शाखाध्यक्ष के संज्ञान में लाये एवं इसका निष्पादन करवाये ।

2. इस मामले में यह भी पाया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजो के आधार पर बिना सतर्कता विभाग से संपर्क किए भी विजलेंस क्लीयरंस जारी किया जा रहा है। यद्यपि सतर्कता विभाग द्वारा ही विजलेंस क्लीयरंस जारी किया जाना उचित है, किन्तु यदि बड़ी संख्या में विजलेंस क्लीयरंस के लिए सतर्कता विभाग को भेजना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, तो कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजो के आधार पर विजलेंस क्लीयरंस जारी करने की प्रक्रिया को केवल उन मामले में अपनाया जा सकता है, जिनका संबंध पदोन्नत्ति, MACP, आंतरिक स्थानांतरण इत्यादि से हो। किन्तु उन मामलो में जहाँ रेलकर्मी रेल सेवा से बाहर जा रहा हो अथवा रेलसेवा से उसका संबंध विच्छेद हो रहा हो यथा अधिवार्षिता, स्वैछिक सेवानिवृति, प्रतिनियुक्ति, तकनीकी सेवाविमुक्ति की स्थिति इत्यादि, सतर्कता विभाग से ही विजलेंस क्लीयरंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

कृपया उक्त के संबंध में उपर्युक्त दिशानिर्देश से संबन्धित प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी निर्गत किया जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

21/12/21

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/कार्मिक एवं भंडार
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता), पूमरे, हाजीपुर

309/A

प्रणाली सुधार सं0 17/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर
सं0 पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक 03.12.2021

कार्यकारी निदेशक स्थापना(आर0आर0बी)
रेलवे बोर्ड, कमरा सं0 457,
रेल भवन, नई दिल्ली

विषयः रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीबीटी परीक्षाओं में अनियमितता होने की संभावना।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय रोजगार अधिसूचना सं0 01/2019 के अन्तर्गत एनटीपीसी पद के लिए RRB/Patna, RRB/MFP & RRB/RNC के द्वारा Computer based Test कराने हेतु पटना, गया, आरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, धनबाद एवं हजारीबाग के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा करायी गई।

सतर्कता जाँच के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर तैनात परियेक्षक उसी केन्द्र/निजी संस्था के होते है। इनके द्वारा भी स्वयं परीक्षार्थी बन कर परीक्षा में बैठने की संभावना हो सकती है। उक्त अनियमितता होने की संभावना को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारण किया जा सकता है:-

1. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का संचालन कर रहे निजी संस्था के कर्मचारी परीक्षक(Invigilator) के रूप में तैनात न हों, बल्कि ECA(Examination Conducting Agency) के कर्मचारी परीक्षक के रूप में तैनात हों। रेलवे ऑब्जर्वर एवं रेलवे सुपरवाईजर के द्वारा इन परीक्षकों(Invigilator) के पहचान पत्र की जॉच सुनिश्चित की जाए।
2. परीक्षा केन्द्र में लैब के अंदर ECA द्वारा नामित परीक्षक(Invigilator), रेलवे ऑब्जर्वर, रेलवे सुपरवाईजर एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व परीक्षा केन्द्र का भलीभांति जॉच वहाँ उपस्थित रेलवे के पर्यवेक्षक(Railway observer) के द्वारा किया जाना चाहिए।
4. परीक्षा केन्द्र पर तैनात ECA(Examination Conducting Agency) के परीक्षकों का साप्ताहिक स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्र पर यादृश्चिक(Random) तरीके से किया जाए। यह स्थानांतरण अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

3/12/21
(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ले0& का0

प्रतिलिपिः 1. कार्यकारी निदेशक सतर्कता(लेखा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/महेन्द्रुघाट, पटना।

3/12/21
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ले0& का0
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

505 to 507

03.12.21

3.12.21

(File no. ECR/Vig./V2/PC/RRB/0124/NK)

382

SIL No- 07 /2024

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सतर्कता हाजीपुर पिन कोड –844101
सं. पूमरे / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50		दिनांक : 09. 05.2024

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

विषयः–सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची के नियमानुसार निर्धारण के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान समय–समय पर जारी की गई सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूचियों के जांचोपरान्त यह पाया गया है कि सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता को संभाग में अभी भी प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जा रहीं है न कि पदस्थापना तिथि से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में। यह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)आई–89/एमआर6/35 दिनांक 23.08.1991 के पैरा(ए) में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:

"जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्हें कामकाजी पद पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता में रैंक दिया जाएगा।"

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को रोकने हेतु रेलवे बोर्ड के उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9/5/24

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता / पूमरे / हाजीपुर